उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड चमोली के द्वारा संचालित क्रियान्वित योजनाओं का विवरण

(राजीव भट्ट)
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
चमोली
फोन न0– 01372252286
मोवाईल न0–7534915323
ई0मेल– **ukvibchamoli99@gmail.com**

व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना

राज्य सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत् ब्याज उपा□ान योजना का संचालन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता से कार्य/संशाधन क्षमता के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाने के उद्□श्य से धनराशि रू0 5.00 लाख तक की परियोजना लागत को बैंक के माध्यम से वित्त पोषित कराने में सहयोग किया जाता है। योजनान्तर्गत उद्यमी को परियोजना के बैंक वित्त पर ब्याज का 4 प्रतिशत् भुगतान वहन करना होता है एवं अन्तर बैंक वित्त ब्याज की अधिकतम 10 प्रतिशत् तक धनराशि विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. आयु 18 से 45 वर्ष।
2. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
3. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पौलिटैक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
5. स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाऐ अथवा
6. यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
8. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खा□ी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहु ँचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
3. फोटो पहचान पत्र।
4. पता पहचान पत्र।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
7. ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
8. बैंक शाखा का सहमति पत्र।
9. शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।
10. रू0 20/- के गैर-न्यायिक टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
11. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खा□ी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहु ँचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रूचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवे□न पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते है।

लाभार्थी का चयन - जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर गठित टास्क फोर्स समिति के सम्मुख निरीक्षण रिपोर्ट/आवे□न/अभिलेख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है। बैंक शाखा द्वारा आवश्यक बैंक वित्त अभिलेखों की औपचारिकताऐं/स्थलीय निरीक्षण पूर्ण कर परियोजना के सापेक्ष ऋण स्वीकृत किया जाता है।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एव□सम्पर्क निम्नानुसार है -

क्र0म0	जनपद का नाम	दूरभाष सं□या
1	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372-252286 Mo- 7534915323

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

□श के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को घ्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया। वंचित वर्ग के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्पा□न सैक्टर हेतु अधिकतम 25 लाख तक एवं व्यापार/सेवा सैक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख तक बैंक वित्त का प्राविधान तथा रू0 10 लाख से अधिक के उत्पा□न सैक्टर तथा रू0 5 लाख से अधिक की व्यापार /सेवा सैक्टर के लाभार्थियों के लिये न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य। ग्रामीण क्षेत्रो के लिये मार्जिन मनी 35 प्रतिशत् कुल परियोजना लागत का अनु□ान का प्राविधान है। अब लाभार्थी pmegp e partal पर जा कर अपने आवेदन पत्र को स्वयंम ऑनलाईन कर सकते है।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. आयु 18 से 45 वर्ष।
2. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी।
3. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो अथवा
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पौलिटैक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी अथवा
5. स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाऐ अथवा
6. यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. परियोजना की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना।
8. परियोजना में मांस, नशीली सामग्री, खा□ी, पौली, पशुपालन, बागवानी अथवा पर्यावरण को नुकसान पहु ॅचाने वाले उद्योग सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. अधार कार्ड
3. जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
5. ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (निर्धारित प्रारूप पर)
6. बैंक शाखा का सहमति पत्र।
7. शैक्षिक/प्राविधिक प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया - ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी रूचि एवं कौशल पात्रता के आधार पर परियोजना अन्तर्गत आवे□न पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जिले के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते है।

लाभार्थी का चयन - जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/क्लेक्टर की अध् यक्षता में गठित जिला कार्य□ल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा/चयन कार्यवाही कर पात्र पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जाता है।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एव□सम्पर्क निम्नानुसार है -

क्र0म0	जनपद का नाम	दूरभाष सङ्ख्या
11	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372-252286 Mo- 7534915323

उत्तराखण्ड ऊन योजना

उत्तराखण्ड राज्य में ऊनी व्ययसाय की असीम संभावनाओं दृष्टिगत् उत्तराखण्ड खाी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जिले में 04 उत्पा न केन्द्र के माध्यम से खाी के अन्तर्गत ऊन की कताई व बुनाई का कार्य किया जाता है। जिससे कि उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें।

ऊन बैंक की स्थापना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पा ित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खाी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नही थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नही मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खाी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेड़पालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है। वर्ष 2015-16 में ऊन का अधिकतम मुल्य रू0 106.00 प्रति किलो ग्राम कर िया गया है। उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय प्रशोधित ऊन बिक्री हेतु उपलब्ध रखा जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया - उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय ऊन क्रय हेतु क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अथवा विभागीय उत्पा न केन्द्रों में आवे न कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यालय/केन्द्रों का विवरण निम्नवत् है-

जनपद	उत्पादन केन्द्र	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	दूरभाष सख्या
चमोली	गोपेश्वर, भीमतल्ला, वाल, रडुवा	श्रीनगर	01346-25711

खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर गॉधी जयन्ती के शुभ अवसर पर खाी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत् छूट का प्राविधान किया जाता है। छूट की अवधि 108 कार्यकारी िवसों के लिये उपलब्ध कराई जाती है। खाी वस्त्रों की बिक्री छूट के अन्तर्गत जिले की 02 खाी संस्थायें एवं 13 बिक्री केन्द्रो के माध्यम से आम जनमास को खाी, पौली, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की खरी पर नियमानुसार छूट की सुविधा ी जाती है। खाी वस्त्रों पर छूट की व्यवस्था से खाी वस्त्रों को बाजार प्रतिस्पर्धा में लाने के कारण उत्पा न बढता है, जिससे कतकर व बुनकरों की मासिक आय में वृद्धि होती है।।

उत्तराखण्ड वनस्पति रेशा बैंक

उत्तराखण्ड खाी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा स्थानीय कच्चे माल के बेहतर उपयोग एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध डास कंडाली, भीमल एवं रामबांस का रेशा के उपयोग एवं उसके संग्रहण से रोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड खाी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2009-10 में रेशा बैंक की स्थापना भी की गयी।

क्र0म0	रेशे का विवरण	वर्तमान समर्थन मूल्य (रू0में)
1	डास कंडाली	45-00
2	भीमल	10-00
3	रामबांस	50-00

स्थानीय स्तर पर रेशा आधारित क्राफ्ट को विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों का जो रेशा संग्रह कार्य में लगे है, रोजगार से जोडा जा सकेगा।

उपरोक्त प्राकृतिक वनस्पति रेशा का क्रय निम्नानुसार जनपों के केन्द्रो पर किया जायेगा।

क्र0म0	जनपद	क्रय केन्द्र	क्रय स्थान	अधिकृत कार्यालय	दूरभाष सख्या
6	चमोली	मुन्डोली, एथला, सितेल, जोषीमठ, उरगम।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) उत्तराखण्ड खाी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्रीनगर गढवाल	01346-257118

प्रदर्शनी

उत्तराखण्ड खा□ी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में पंजीकृत व वित्त पोषित उद्यमियों, परम्परागत् कारीगरों के उत्पा□ों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बिक्री के उद्□श्य से राष्ट्रीय एवं जनप□ स्तरीय प्र□र्शनियां का आयोजन निम्नानुसार किया जाता है।

क्र0म0	स्तर	स्थान	अवधि	न्यूनतम स्टाल क्षमता
2	जनप□	चमोली	माह-अक्टूबर, 07 □िन	25

उद्यमियों को प्र□र्शनी में प्रतिभाग हेतु स्वयं खर्चा वहन करना होगा। प्रतिभागी के अनुरोध पर प्र□र्शनी अवधि में रात्रि ठहरने की व्यवस्था विभाग द्वारा कराई जा सकती है जिसका भुगतान प्रतिभागी को स्वयं वहन करना होगा। स्टाल किराया खा□ी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित □रों पर प्राप्त किया जाता है। खा□ी इकाई हेतु साईज 3 X 3 वर्गमीटर एवं ग्रामोद्योगी इकाई हेतु 3 X 2 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्टाल उपलब्ध कराया जाता है। स्टाल में निर्धारित मानकों के अनुसार मेज, कुर्सी, विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध रहती है।

पात्रता - योजना अन्तर्गत पात्रता का विवरण निम्नवत् है -

1. भारतवर्ष में खा□ी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा खा□ी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत/वित्त पोषित इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत् उद्यमी एवं विभागीय इकाईयॉ।
2. खा□ी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पा□न कार्य कर रही इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत् उद्यमी,
3. खा□ी एवं ग्रामोद्योग के सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही इकाई/संस्था/समिति/व्यक्तिगत् उद्यमी,
4. पीएमईजीपी योजना अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयॉ,
5. बांस, प्राकृतिक रेशा, इकाई/समूह (बांस एवं रेशा विकास बोर्ड अथवा सम्बन्धित सरकारी विभाग की संस्तुति पर)
6. उत्तराखण्ड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह (सम्बन्धित सरकारी विभाग की संस्तुति पर)

स्टाल किराया -

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. खा□ी प्रमाण पत्र (खा□ी संस्था/समिति हेतु)।
3. अस्थाई/स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र (ग्रामोद्योग इकाई/उद्यमी हेतु)।
4. सरकारी विभाग का संस्तुति पत्र (हथकरद्या, बांस, रेशा एवं उत्तराखण्ड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह हेतु)

आवेदन की प्रक्रिया - इच्छुक प्रतिभागी आवे□न पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर सम्बन्धित जनप□ के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से प्रेषित कर सकते है अथवा सीधे मुख्यालय उत्तराखण्ड खा□ी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड □हरा□ून में जमा कर सकते है।

लाभार्थी का चयन - प्र□र्शनी स्टाल आवंटन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

योजना का आवे□न का प्रारूप डाउनलोड आप्शन में उपलब्ध है।

खादी सस्थाओ□को सहयोग योजना

योजना का मुख्य उ□द्□श्य राज्य में खा□ी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा प्रमाणित खा□ी की संस्थाओं को, जो आर्थिक एवं संस्थागत रूप से कमजोर है तथा अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है, ऐसी संस्थाओं के उत्थान हेतु उनके उत्पा□न केन्द्रों के सुदृढीकरण तकनीकी विकास, डिजायन विकास में सहायता □िया जाना है। योजना का प्रारम्भ सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के शासना□ेश संख्या-934(1)/VII-2-16/210-एम0एस0एम0ई0/2015 □िनांक 30.06.2016 के द्वारा किया गया है।

पात्रता

योजनान्तर्गत खा□ी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा प्रमाणित खा□ी संस्थायें जो निर्धारित मानको के अन्तर्गत अच्छा□ित हों किन्तु परिस्थिति के कारण अपने उत्पा□न कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रही हों अथवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बन्□ी के कगार पर हों, ऐसी विषम परिस्थिति जिसके कारण संस्था से जुड़े कतकरों/बुनकरों को रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है, उन्हें उक्त योजना का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। यह भी आवश्यक हो कि संस्था द्वारा खा□ी से निर्मित हाथ कता, हाथ बुना वस्त्र खा□ी मानक के अनुरूप तैयार किया जा रहा हो। संस्था के वर्तमान के उत्पा□न कार्य में धनराशि की वास्तविक आवश्यकता तथा सहायता हेतु सम्भवित अन्य कोई स्रोत न होना।

चयन की प्रक्रिया -

संस्था का चयन गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।